भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3466
उत्तर देने की तारीख: 16.03.2020

पीठ

†3466. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर पीठ की स्थापना करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विश्वविद्यालय-वार लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;
(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु क्या मानदंड निर्धरित किया गया है;
(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी निधि स्वीकृत और जारी की गई है;
(ङ) उन विभिन्न विश्वविद्यालयों में किन-किन विशिष्ट महिलाओं के नाम पर पीठ की स्थापना की संभावना है; और
(च) क्या सरकार का महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु देश में विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में ऐसे और अधिक पीठों की स्थापना का विचार है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि यूजीसी की सहायता से महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में 10 चेयर की स्थापना कर रहा है। इस पहल को 'प्रख्यात महिला प्रशासकों / कलाकारों / वैज्ञानिकों / समाज सुधारकों के नाम पर विश्वविद्यालय में चेयर की स्थापना' कहा जाता है। भारत की प्रतिष्ठित महिलाओं के नाम पर चेयर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित करना और उनके विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करना है। देश की महिला अचीवर्स को हाइलाइट करने और सम्मानित करने की यह पहल युवा लड़कियों और महिलाओं को उच्च अध्ययन करने की दिशा में प्रेरित करेगी।

(ग): चेयर प्रोफेसर के चयन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैं:

अर्हता	इसके संबंधित विशिष्ट विषय में प्रसिद्ध शिक्षाविद/उत्कृष्ट ट्रैक का विद्वान

आयु	55-70 वर्ष
वेतनमान	प्रोफेसर वेतनमान: पे लेवल 14, 1,44,200/- रूपए 2,18,200/- रूपए
नियुक्ति की अवधि	5 वर्ष (अधिकतम 10 वर्ष की शर्त पर अन्य पांच वर्ष हेतु विस्तार किया जा सकता है, परंतु 70 वर्ष की आयु से अधिक नहीं)।
चेयर की अवधि	अधिकतम 10 वर्ष या जब तक पदधारक 70 वर्ष की आयु प्राप्त करे, जो भी पहले हो।
नामांकन का माध्यम	दो प्रसिद्ध व्यक्ति और एक यूजीसी द्वारा नामांकित व्यक्ति के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित की जाने वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नामांकन और/या आमंत्रण के माध्यम से

(घ): चेयर स्थापित करने में वित्तीय लागत 50.00 लाख रूपए प्रति चेयर प्रति वर्ष है।

(ड.) और (च): प्रतिष्ठित महिला जिसके नाम से पीठ की स्थापना की जानी है, के नाम का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**चेयर का प्रस्तावित नाम**	**विषय**
1	देवी अहिल्याबाई होलकर	प्रशासन
2	महादेवी वर्मा	साहित्य
3	रानी गेडिन्लियु	स्वतंत्रता सेनानी (पूर्वोत्तर)
4	आनंदीबाई गोपालराव जोशी	चिकित्सा और स्वास्थ्य
5	एम.एस.सुब्बुलक्ष्मी	प्रदर्शन कला
6	अमृता देवी (बेनीवाल)	वन/वन्यजीव संरक्षण
7	लीलावती	गणित
8	कमला सोहोनी	विज्ञान
9	लालेश्वरी (लाल देद)	कविता और मिस्टीजम
10	हंसा मेहता	शैक्षिक सुधार

*****